उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग-3

<u>अधिसूचना</u>

संख्या-10/2024/590/चौबीस-पी-3-2024-113 विविध/2018 लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई ,2024

उत्तर प्रदेश राज्य में लिफ्ट तथा एस्केलेटर और उनसे सम्बन्धित समस्त मशीनरी तथा साधित्रों के निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और सुरिक्षत चालन के रिजस्ट्रीकरण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली,		
और प्रारंभ	2024 कही जायेगी।		
	(2) र	गह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
परिभाषाएं	2. (1)	इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-	
	(क)	"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर	
		अधिनियम, 2024 से है;	
	(ख)	"अनुलग्नक" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न किसी	
	अनुलग्नक से है;		
	(ग) "ओईएम" का तात्पर्य मूल उपस्कर विनिर्माता से है;		
(घ) "निरीक्षक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ना		"निरीक्षक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट	
		वियुत निरीक्षक से है।	
	(2)	इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे	
जो अधिनियम में उनके लिये क्रमश: समनुदेशित		जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।	
लिफ्ट या 3.(1)		किसी भी परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर के संस्थापन हेतु	
एस्केलेटर आशयित स्थान के प्रत्येक स्वामी इस नियमावली के अ		आशयित स्थान के प्रत्येक स्वामी इस नियमावली के अनुलग्नक-	
परिनिर्मित एक में यथा उल्लिखित प्रपत्र में, यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण वि		एक में यथा उल्लिखित प्रपत्र में, यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण विवरण	
करने के लिए या सूचना देते हुए एक आवेदन करना होगा।		या सूचना देते हुए एक आवेदन करना होगा।	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वामी द्वारा	(2)	यह आवेदन अधिकारिता क्षेत्राधिकार वाले स्थानीय सहायक	
रजिस्ट्रीकरण		निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।	
कमीशनिंग	4.(1)	स्वामी जो अधिनियम की धारा-3 के अधीन लिफ्ट या एस्केलेटर	
पूर्ण होने पर		संस्थापन हेतु रजिस्ट्रीकृत हो, लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रयोग से	
और लिफ्ट या		पूर्व, इस नियमावली के अनुलग्नक-2 में यथा उल्लिखित प्रपत्र	
एस्केलेटर के		में	
उपयोग से पूर्व		कमीशनिंग के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।	
सूचना दिया	(2)	कमीशनिंग पूर्ण होने की सूचना रिपोर्ट के साथ अधिनियम की	
जाना		धारा-11 के अनुसार किसी संस्थपित अभिकरण से संस्थापन पूर्ण	
		होने का रिपोर्ट भी संलग्न करना होगा। संस्थापन अभिकरण को	
		यह वचन देना होगा कि अधिनियम और नियमावली में	
		उल्लिखित समस्त सुरक्षा सुविधाएँ लिफ्ट या एस्केलेटर में बनाई	
		गई हैं।	
	(3)	स्वामी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता इस आशय का एक शपथपत्र	
		प्रस्तुत करेगा कि वह लिफ्ट या एस्केलेटर के दैनिक प्रचालन के	
		दौरान अधिनियम और नियमावली के समस्त उपबन्धों का	
		अनुपालन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकारियों के साथ	
		सहयोग करेगा।	
	(4)	प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए 5,000 रुपये का शुल्क	
		कमीशनिंग पूर्ण किये जाने की सूचना रिपोर्ट के साथ जमा किया	
		जाएगा।	
	(5)	यह रिपोर्ट अधिकारिता वाले स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत	
		सुरक्षा, को प्रस्तुत की जाएगी।	
नि:शक्त-	5.	किसी भी सार्वजनिक परिसर में कम से कम एक लिफ्ट अनिवार्य	
अनुकूल		रूप से ऐसी होनी चाहिए जो नि:शक्त अनुकूल हो और इस संबंध	
लिफ्ट		में संहिताओं और निर्देशों के अनुरूप हो।	
सार्वजनिक	6(1)	स्वामी को अनिवार्य रूप से ओईएम या उसके प्राधिकृत सेवा	
परिसरों में		प्रदाता से व्यापक एएमसी लेनी होगी। वह प्रत्येक वर्ष अपने लिफ्ट	
लिफ्ट या		या एस्केलेटर या सार्वजनिक परिसर में कमीशन किए गए लिफ्ट	
एस्केलेटर का		और एस्केलेटर के अनुरक्षण के लिए की गई किसी अन्य व्यवस्था	
अनुरक्षण		के लिए एएमसी की एक प्रति अधिकारिता वाले स्थानीय सहायक	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Chart Current of the Chart of the Comment of the Co
	निदेशक, विद्युत सुरक्षा को इस नियमावली के अनुलग्नक-3 में
	यथा उल्लिखित विहित प्रपत्र पर प्रस्तुत करेगा।
(0)	
(2)	आवधिक अनुरक्षण की एक लॉगबुक इस नियमावली के
	अनुलग्नक-4 में यथा उल्लिखित विहित प्रपत्र पर रखी जाएगी
	और इसे सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के
	पास प्रदर्शित किया जाएगा और अधिकारिता वाले स्थानीय
	सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, या अधिकारिता वाले कोई अन्य
	विद्युत निरीक्षक या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय
	उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत
	किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया
	जाय।
(3)	सार्वजनिक परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर को प्रचालित करने के
	लिए स्वामी अनिवार्य रूप से प्रचालक नियुक्त करेगा। इ्यूटी पर
	तैनात प्रचालकों के नाम और मोबाइल संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित
	किया जाएगा। इन प्रचालकों को लिफ्ट या एस्केलेटर प्रचालित
	करने या उनमें फंसने सहित किसी भी आपात स्थिति से निपटने
	के लिए विधिवत रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
	यदि किसी प्रचालक को परिवर्तित किया जाता है तो नये व्यक्ति
	को प्रचालक के रूप में अपनी ड्यूटी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व
10	प्रशिक्षित किया जायेगा।
(4)	क्लस्टर के रूप में निकटता में संस्थापित सभी लिफ्टों के लिए,
2,77	प्रचालन के दौरान किसी भी समय कम से कम एक प्रचालक होना
'X ()	चाहिए, और, सार्वजनिक परिसर में सभी एस्केलेटर के लिए कम
	से कम एक प्रचालक होना चाहिए।
(5)	स्वामी लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रचालनात्मक भार के आधार पर
	रात के समय (रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक)
	प्रचालकों की संख्या कम कर सकता है।
(6)	प्रचालक को इस नियमावली के अनुलग्नक-4 के लॉगबुक के भाग-
	क में अपने ड्यूटी घंटों के दौरान प्रचालन में आने वाले किसी भी
	मुद्दे या किसी अन्य समस्या को लिखित रूप में कम करना होगा।
	1 5

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		स्वामी को बिना किसी विलम्ब के उन पर ध्यान देना होगा और	
		उनका समाधान करना होगा।	
विनिर्माता,	7.(1)	सभी विनिर्माताओं, कमीशनिंग और संस्थापन अभिकरणों को	
		निदेशक, विद्युत सुरक्षा के साथ रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।	
और	(2) विनिर्माताओं को इस नियमावली के अनुलग्नक-5 में उति		
संस्थापना		विहित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। उन्हें 25,000 रुपये शुल्क	
अभिकरणों		के साथ आवेदन करना होगा। यह रजिस्ट्रीकरण पांच वर्षों के लिए	
का		विधिमान्य होगा और उसके पश्चात् नवीकृत किया जाएगा।	
रजिस्ट्रीकरण		प्रत्येक नवीकरण के लिए समान शुल्क संदत्त किया जाएगा।	
	(3)	विनिर्माताओं के लिए वांछित अर्हताएं निम्नानुसार होंगी:	
		क. विनिर्माता, पूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	
		(एसआईटीसी) के लिए उत्तरदायी होगा;	
		ख. विनिर्माता के पास पूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	
		(एसआईटीसी) के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम, अर्ह और प्रशिक्षित	
		तकनीकी टीम होनी चाहिए;	
		ग. विनिर्माता को अपने ब्रांड नाम से उपस्कर का विक्रय करना	
		होगा।	
		घ. विनिर्माता को उसके द्वारा पूर्ति, संस्थापित और कमीशन किए	
		गए उपस्कर के प्रचालन के लिए किसी सांकेतिक उपयोगी जीवन	
	10	को उपदर्शित करना चाहिए और यह अन्यून 20 वर्ष होना चाहिए;	
,	\ \ \ ·	ड. लिफ्ट या एस्केलेटर के उपयोगी जीवन तक ओईएम द्वारा	
		स्वामी को या तो स्वयं या अपने प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम	
		से एक व्यापक एएमसी अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए	
		और लिफ्ट या एस्केलेटर के उपयोगी जीवन के दौरान कलपुर्जी	
		की निर्बाध पूर्ति होनी चाहिए;	
		च. क्रेता/उपभोक्ता को विनिर्माता द्वारा लिखित रूप में सुझाव दिया	
		जाना चाहिए कि जब विनिर्माता द्वारा उपदर्शित उपस्कर की कार्य	
		करने की अविध (लाइफ) बीत जाये तब क्या करना है;	
		छ. सांकेतिक कार्य करने की अवधि (लाइफ) की समयावधि या	
		कमीशनिंग के 15 वर्ष, जो भी पहले हो, की समाप्ति पर विनिर्माता	
		द्वारा स्थल का दौरा करना होगा और लिफ्ट या एस्केलेटर में	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

T		Ţ		
		सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्रेता/उपभोक्ता को लिखित		
		रूप में सुझावों की एक रिपोर्ट देना होगा;		
		ज. उपस्कर के भीतर "क्या करें और क्या न करें" और		
		आपातकालीन संपर्क नंबर या किसी टोल-फ्री नंबर का विवरण		
		विनिर्माता की कमीशनिंग टीम द्वारा रखा जाना चाहिए ताकि यह		
		प्रयोक्ता या किसी भी प्रचालक की पहुंच के भीतर हो;		
		झ. स्वामी और उसके प्रचालन कर्मचारिवृन्द को आपातकाल के		
		दौरान बचाव कार्यों के बारे में विनिर्माता की कमीशनिंग टीम द्वारा		
		प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।		
वार्षिक	8(1)	वार्षिक अनुरक्षण संविदा अन्तर्ग्रस्त समस्त अभिकरण (एएमसी)		
अनुरक्षण		के लिए शामिल सभी एजेंसियों को निदेशक, विद्युत सुरक्षा के पास		
संविदा		रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।		
(ए0एम0सी0)	(2)	वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) अन्तर्ग्रस्त अभिकरण इस		
में अन्तर्ग्रस्त		नियमावली के अनुलग्नक-6 में यथा उल्लिखित विहित प्रपत्र पर		
अभिकरण का		आवेदन करेगी। उन्हें 25,000 रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना		
रजिस्ट्रीकरण		होगा। रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए		
		रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य होगा। प्रत्येक नवीकरण के लिए समान		
		शुल्क संदत्त किया जाएगा।		
	(3)	वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए अन्तर्ग्रस्त अभिकरण		
		हेतु वांछित अर्हताएं निम्नवत होंगी:		
	10			
	\ \ \ ·	क. अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, भवन जिसमें		
.0		लिफ्ट या एस्केलेटर संस्थापित किया गया है, लिफ्ट और		
		एस्केलेटर, कोई अन्य विद्युत या यांत्रिक सांधित्र तथा संस्थापन के		
		सम्बन्ध में सुसंगत संहिता और किसी अन्य सुसंगत संहिता का		
		पालन उत्तरदायित्व वाले अभिकरण द्वारा किया जायेगा।		
		ख. यह व्यापक/अर्ध-व्यापक/गैर-व्यापक एएमसी की प्रस्थापना		
		करेगा और यह उपभोक्ता को इन योजनाओं में सम्मिलित सेवाओं		
		के प्रकार के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा देगा।		

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम, अर्हित और प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति बनाए रखी जानी चाहिए। इसमें फिटर या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई प्रशिक्षित तकनीशियन, इलेक्ट्रिकल या यांत्रिक (मैकेनिकल) या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी(टेक्नोलॉजी) में डिप्लोमा धारक और अभियन्ता (इंजीनियर), टीम लीडर, ग्रुप लीडर आदि सम्मिलित होंगे। नई भर्ती की प्रशिक्षण अविध न्यूनतम छ: माह होगी।

घ. क्षेत्र और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर यथेष्ट संख्या में तकनीकी टीमें होंगी जिससे किसी भी शिकायत को निपटाने के लिए उसे न्यूनतम प्रतिक्रिया समय देना होगा।

ड. सर्विस स्टेशन के 50 किमी की परिधि के भीतर प्रतिक्रिया समय 4 घंटे से अधिक नहीं होगा और 50 से 100 किमी के दायरे के मामलों के लिए 12 घंटे और 100 किमी से अधिक के मामलों के लिए 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। किसी भी आपातकालीन स्थित में, टीम को नैत्यिक कार्य छोड़कर यथाशीघ्र आपातकालीन स्थल पर पहुँचना होगा।

च. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) को छोटी मरम्मत को 48 घंटों के भीतर और बड़ी मरम्मत को 15 दिनों के भीतर सुधार करने के लिए पर्याप्त सूची बनाए रखना चाहिए;

छ. अभिकरण को एक माह के भीतर मशीन स्थल पर कम से कम एक निवारक भ्रमण सुनिश्चित करना होगा। यदि आवश्यकता हुयी तो यह और भी अधिक हो सकता है। स्थल पर भ्रमण करने वाली टीम का वरिष्ठतम सदस्य अपने निष्कर्ष /संप्रेक्षण/सुझाव, यदि कोई हो, को स्थल पर रखी लॉगबुक में अभिलिखित करेगा।

ज. स्थल भ्रमण करने वाली टीम यह सुनिश्चित करेगी कि समस्त बचाव युक्ति अविकल हैं और कार्य करने की स्थिति में हैं और यदि यह पाया जाता है कि वे कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे न्यूनतम समय के भीतर कार्यात्मक हो गए हैं; और यदि स्वामी ऐसे मामलों में सहयोग नहीं करता है, तो मामले को विलम्ब किये बगैर अधिकारिता वाले स्थानीय जिला

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मजिस्ट्रेट और स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को रिप			
		किया जाएगा;		
		झ. जहां तक सुरक्षा सुविधाओं का संबंध है जब भी प्रौद्योगिकी		
		कोई उन्नयन होता है, तो स्वामी को वार्षिक अनुरक्षण संविदा		
	(एएमसी) के लिए उत्तरदायी अभिकरण द्वारा इसके बारे में			
		लिखित रूप में सलाह दिया जायेगा।		
दुर्घटना	9. इ	स नियमावली के अनुलग्नक-7 में यथा उल्लिखित आकस्मिक		
लॉगबुक	इतिह	ास की एक पृथक लॉगबुक रखी जाएगी और सार्वजनिक परिसर में		
	संस्थ	पित लिफ्ट या एस्केलेटर के निकट प्रदर्शित की जाएगी और जब		
	अधिव	कारिता वाले स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा या अधिकारिता		
		केसी अन्य विद्युत निरीक्षक या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय		
	उपडि	वीजनल मजिस्ट्रेट या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी		
	कार्यव	nरी मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जायेगा।		
विलम्ब शुल्क		भधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी		
3		-सीमा का उल्लंघन करने पर स्वामी से निम्नलिखित तरीके से विलंब		
	शुल्क	प्रभारित किया जाएगा: -		
	(क) यदि विलंब 07 दिन या उससे कम है, तो 100 रुपये प्रति दिन व			
		विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा;		
	(ख)	यदि विलंब 07 दिन से अधिक और 15 दिन तक होता है, तो संपूर्ण		
		अवधि के लिए 200 रुपये प्रति दिन का विलंब शुल्क प्रभारित किया		
		जाएगा।		
,	(ग)	यदि विलम्ब 15 दिन से अधिक और 30 दिन तक है, तो सम्पूर्ण		
.0		अविध के लिए 500 रुपये प्रति दिन का विलंब शुल्क प्रभारित किया		
		जाएगा;		
M	(ঘ)	यदि विलम्ब 30 दिन से अधिक है तो लिफ्ट या एस्केलेटर का		
		संचालन तत्काल बंद कर दिया जाएगा और 10,000 रुपये के विलंब		
		शुल्क के साथ उपबन्ध के अनुपालन के पश्चात ही इसे पुन: शुरू		
		किया जा सकता है।		
		ואידו טוו לושילוו (יו		

आज्ञा से, नरेन्द्र भूषण प्रमुख सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नई लिफ्ट या एस्केलेटर संस्थापित करने/संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए आवेदन

(स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाना है)

1			प्रस्तुत विन्या आणा है)		
'	स्वामा	का विवरण			
	क	नाम			
	ख	स्थानीय पता			
	ग	स्थायी पता			
	ਬ	मोबाइल नम्बर			
	ड	मेल आईडी			
2	स्वामी व	के प्राधिकृत अभिकर्ता का विवरण			
	क	नाम	.0.0		
	ख	स्थानीय पता			
	ग	स्थायी पता	7,,		
	घ	मोबाइल नम्बर			
	ड	मेल आईडी			
3	यदि वह	नई लिफ्ट या एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन हो।			
4	उस परि	सर का पता जहां लिफ्ट या एस्केलेटर			
	कमीशन	न किया जाना है			
5	चाहे वह	'निजी परिसर' हो या 'सार्वजनिक परिसर'			
7	चाहे वह लिफ्ट या एस्केलेटर को संशोधित या				
	परिवर्ति	त करने का मामला हो			
	क	विद्यमान लिफ्ट या एस्केलेटर का			
		रजिस्ट्रीकरण संख्या			
	ख	उस परिसर का पता जहां इसे चालू किया			
		गया है			
8	यदि लि	फ्ट या एस्केलेटर को स्थानांतरित किया जा			
	रहा है				
	क	विद्यमान लिफ्ट या एस्केलेटर की			
		रजिस्ट्रीकरण संख्या			
	ख	उस परिसर का पता जहां इसे पहले कमीशन			
		किया गया था			
	ग	नए परिसर का पता जहां इसे चालू किया			
		जाना है			
9	क्या भवन का मानचित्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा				
	अनुमोदित किया गया है				
10	यदि हां, तो अनुमोदन प्राधिकारी का नाम, अनुमोदन				
	संख्या और दिनांक				

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

11	लिफ्ट य	। एस्केलेटर का प्रकार और बनावट
12	लिफ्ट य	एस्केलेटर के विविनिर्माता का विवरण
	क	नाम
	ख	पता
	ग	विनिर्माता की रजिस्ट्रीकरण संख्या
	घ	विविनिर्माता के स्थानीय अधिकृत
		प्रतिनिधि का नाम, संपर्क विवरण और पता
13	कमीशनि	ग/संशोधन/परिवर्तन/स्थानांतरण अभिकरण
	का विवर	ण
	क	नाम
	ख	पता
	ग	कमीशनिंग/उपांतरण/परिवर्तन/ स्थानांतरण
		करने वाले अभिकरण की रजिस्ट्रीकरण
		संख्या
	घ	कमीशनिंग/उपांतरण/परिवर्तन/ स्थानांतरण
		करने वाले अभिकरण के स्थानीय प्राधिकृत
		प्रतिनिधि का नाम, संपर्क विवरण और पता
14		ंग प्रारंभ होने की प्रस्तावित दिनांक
15		ंग के पूरा होने की प्रस्तावित दिनांक
16	अनुलग्न	कों का विवरण
	क	अनुमोदित भवन योजना
	ख	लिफ्ट या एस्केलेटर का विवरण खींचना
	ग	विविनिर्माता का शपथ पत्र कि लिफ्ट या
		एस्केलेटर बीआईएस के अनुरूप है और
		राष्ट्रीय और/या राज्य भवन संहिता के
		मानदंडों के अनुसार है।
	घ	विविनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए लिफ्ट
	_	या एस्केलेटर का तकनीकी विवरण
	ड	विविनिर्माता द्वारा प्रदान की गई लिफ्ट या
		एस्केलेटर की सुरक्षा सुविधाएँ
	च	तीनों अधोहस्ताक्षरियों द्वारा नोटरीकृत
		शपथ पत्र पर अलग-अलग घोषणाएं कि
		उनके संबंध में उपरोक्त दी गई जानकारी
		उनकी जानकारी के अनुसार सही है और
		कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

विविनिर्माता के प्राधिकृत प्रतिनिधि का दिनांक सहित हस्ताक्षर कमिशनिंग/उपांतरण/परिवर्तन/स्थानान्तरण करने वाले अभिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि का दिनांक सहित हस्ताक्षर

स्वामी/ उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का दिनांक सहित हस्ताक्षर

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(नियम 4 (1) देखें)

लिफ्ट संस्थापित करने या संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए कमीशनिंग सूचना रिपोर्ट को पूरा करना

(स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाना है)

1	रजिस	ट्रीकरण संख्या
2	लिफ्ट	: या एस्केलेटर के कमीशनिंग की
	वास्त	विक दिनांक
3	अनुल	ग्नकों का विवरण
	(क)	इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र पर
		एक स्व-घोषणा
		एक. कमीशन की गई लिफ्ट या
		एस्केलेटर उसी निर्माण और विविनिर्माता
		का है जैसा रजिस्ट्रीकरण के समय घोषित
		किया गया था,
		दो. लिफ्ट या एस्केलेटर को चालू करने
		का स्थान वही है जो रजिस्ट्रीकरण के
		समय घोषित किया गया था,
		तीन. कमीशनिंग/अभिकरण वही है जो
		रजिस्ट्रीकरण के समय घोषित की गई थी।
	(ख)	यदि लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्माण और
		विविनिर्माता और/या कमीशनिंग के
		स्थान और/या कमीशनिंग अभिकरण में
		कोई परिवर्तन होता है, तो स्वामी को
		अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप में घोषित
		विवरण अद्यतन करना होगा।
	(ग)	नोटरीकृत हलफनामे पर इस आशय की
		स्व-घोषणा कि वह लिफ्ट या एस्केलेटर
		के दैनिक संचालन के दौरान अधिनियम
		और नियमों के समस्त उपबन्धों का
		अनुपालन करेगा और आवश्यकता पड़ने
		पर अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।
	(घ)	नोटरीकृत हलफनामे पर विविनिर्माता का
		शपथ पत्र कि चालू किया गया लिफ्ट या
		एस्केलेटर बीआईएस के अनुरूप है और
		उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर
		अधिनियम, २०२४ के उपबन्धों के विशेष
		रूप से अधिनियम और नियमावली में

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		यथा प्रगणित समस्त सुरक्षा सुविधाओं के
		अनुरूप है।
	(롱)	नोटरीकृत हलफनामे पर कमीशनिंग
		अभिकरण का शपथ पत्र कि लिफ्ट या
		एस्केलेटर को विविनिर्माता मार्गदर्शी
		सिद्धान्त के अनुसार और प्रचलित राष्ट्रीय
		और/या राज्य भवन संहिता के अनुपालन
		में ठीक से चालू किया गया है और
		अधिनियम और नियमों में यथा प्रगणित
		समस्त सुरक्षा सुविधाओं का लिफ्ट या
		एस्केलेटर में निर्माण किया गया है।
	(핍)	नियमावली में यथावांछित शुल्क भुगतान
		का विवरण।
	(छ)	नोटरीकृत शपथ पत्र पर अलग-अलग
		घोषणाएँ तीनों अधोहस्ताक्षरियों द्वारा कि
		उनके संबंध में उपरोक्त दी गई जानकारी
		उनकी जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ
		भी छिपाया नहीं गया है।
4	लिफ्ट	या एस्केलेटर के प्रचालन का सांकेतिक
	उपयो	गी जीवन
5	क्या '	लिफ्ट या एस्केलेटर के स्वामी/ऑपरेटर को
	मशीन	न, विशेष रूप से इसके बचाव प्रणालियों को
	प्रचाति	नेत करने के लिए विविनिर्माता/
	कमीश	शनिंग/संशोधित/परिवर्तन/शिफ्टिंग
	अभिव	करण द्वारा सम्यक रूप से प्रशिक्षित किया
	गया	1
_	_	

विविनिर्माता के प्राधिकृत प्रतिनिधि का दिनांक सहित हस्ताक्षर कमिशनिंग/उपांतरण/परिवर्तन/स्थानान्तरण करने वाले अभिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि का दिनांक सहित हस्ताक्षर

स्वामी/ उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का दिनांक सहित हस्ताक्षर

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

{नियम 6(1) देखें}

सार्वजनिक परिसरों में संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए एएमसी विवरण

(स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाना है)

1	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2	लिफ्ट या एस्केलेटर के कमीशन होने का दिनांक	2.
3	वह दिनांक जिस पर लिफ्ट या एस्केलेटर प्रचालन	
	में आया	
4	यदि यह एक नई लिफ्ट या एस्केलेटर है, तो वह	
	दिनांक जब तक विविनिर्माता या कमीशनिंग	60
	/उपांतरण/परिवर्तन/शिफ्टिंग अभिकरण द्वारा	2.0
	मुफ्त रखरखाव सेवा उपलब्ध होगी	
5	एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण का नाम,	
	पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या	
6	क्या एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण	
	ओईएम की प्राधिकृत विक्रेता है	0.2
7	एएमसी के प्रारंभ होने का दिनांक	
8	वह दिनांक जिस पर एएमसी समाप्त हो रही है	
9	एएमसी का प्रकार	J
	(क) ट्यापक	
	(ख) अर्ध व्यापक	
	(ग) गैर व्यापक	
10	एएमसी की एक प्रति साझा की जाएगी	
11	दोनों अधोहस्ताक्षरियों द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र	
	पर अलग-अलग घोषणाएं कि उनके संबंध में	
	उपरोक्त दी गई सूचना उनकी जानकारी के	
	अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया	
	 	

एएमसी हेतु अभिकरण के प्राधिकृत अभिकर्ता का दिनांक सहित हस्ताक्षर स्वामी/ उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का दिनांक सहित हस्ताक्षर

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

{नियम 6(2) और 6(6) देखें}

सार्वजनिक परिसरों में संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के रखरखाव के लिए लॉगबुक विवरण (संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के पास रखा जाए)

भाग-ए लॉगबुक के पेज-1 पर मुद्रित किया जाना है

01101-4	र सागबुपर पर पज-। पर मुद्रित विभिन्न जाना रू	
1	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2	लिफ्ट या एस्केलेटर के चालू होने का दिनांक	
3	वह दिनांक जिस दिन लिफ्ट या एस्केलेटर	
	प्रचालन में आया	
4	यदि यह एक नई लिफ्ट या एस्केलेटर है, तो वह	
	दिनांक जब तक विनिर्माता या कमीशनिंग/	60
	संशोधित/ परिवर्तन/शिफ्टिंग अभिकरण द्वारा	~ ~ ~
	मुफ्त रखरखाव सेवा उपलब्ध होगी	
5	एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण का नाम,	
	पता और रजिस्ट्रीरकरण संख्या	
6	क्या एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण	6/,
	ओईएम की प्राधिकृत विक्रेता है	
7	एएमसी के प्रारंभ होने की दिनांक	
8	वह दिनांक जिस दिन एएमसी समाप्त हो रही है	9
9	एएमसी का प्रकार	
	(क) ट्यापक	
	(ख) अर्ध ट्यापक	
	(ग) गैर व्यापक	

भाग-ख पश्चात्वर्ती पृष्ठों पर मुद्रित किया जाएगा

क्रम	एएमसी टीम	टीम	कार्यों में	लिफ्ट या एस्केलेटर के	वह दिनांक	वह दिनांक	एएमसी
सं	के दौरे की	लीडर	एएमसी	सुचारू प्राचालन के लिए	जिस पर	जब एएमसी	टीम के
ख्या	दिनांक और	का	टीम ने	सुधारात्मक उपाय के लिए	सुझाव का	टीम का	टीम लीडर
	समय	नाम	भाग	स्वामी के लिए कोई	अनुपालन	अगला दौरा	के
			लिया	सुझाव	किया गया	होने वाला है	हस्ताक्षर
					#		

भाग-ग को पश्चात्वर्ती पृष्ठों के अलग-अलग सेट पर मुद्रित किया जाना है

क्रम	प्रचालक	अपने ड्यूटी	प्रचालन की प्रविष्टि	क्या समस्या पर	एएमसी टीम के
संख्या	का नाम	समय के दौरान	का दिनांक और	ध्यान दिया गया या	टीम लीडर के
		प्रचालन में उनके	समय	समाधान किया	हस्ताक्षर
		सामने आने वाली		गया? यदि हाँ, तो	
		समस्याएं		दिनांक एवं समय?	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

{नियम 7(2) देखें}

लिफ्ट या एस्केलेटर के विनिर्माण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र

(निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जाना है)

1		विनिर्माता का विवरण (ओईएम)	
	क	नाम	
	ख	विधिक प्रास्थिति (चाहे कंपनी हो या	
		साझेदारी फर्म या कुछ और) और इसके	
		निगमन विवरण जैसे सक्षम प्राधिकारी के	
		साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या और उसका	
		दिनांक	0
	ग	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता	
	ਬ	भारत में उत्पादन केन्द्रों का पता	
	ड.	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम	
	च	संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
	छ	संपर्क व्यक्ति की मेल-आईडी	
	ज	जीएसटी नंबर	
	झ	पैन	
	ट	उत्पाद रेंज (कृपया विस्तृत सूची प्रदान	
		करें)	
2	उत्तर	प्रदेश में ओईएम के समस्त स्थानीय	
	विक्रे	ताओं का विवरण	
	क	नाम	
	ख	विधिक प्रास्थिति (चाहे कंपनी हो या	
		साझेदारी फर्म या कुछ और) और इसके	
		निगमन विवरण जैसे सक्षम प्राधिकारी के	
		साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या और उसका	
		दिनांक	
	ग	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता	
	घ	स्थानीय कार्यालय का पता	
	ड.	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम	
	च	संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
	छ	संपर्क व्यक्ति की मेल-आईडी	
	झ	जीएसटी नंबर	
	ट	पैन	
3	ओई	एम की ओर से इस आवेदन को करने वाले	
	प्राधि	ोकृत व्यक्ति का विवरण	
	क	नाम	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	ख	पता	
	ग	नाम एवं पदनाम	
	घ	मोबाइल नंबर	
	ड.	मेल-आईडी	
4	क	चाहे वह पहली बार रजिस्ट्रीकरण हो	
	ख	यदि हाँ, तो शुल्क भुगतान का विवरण	
5	क	चाहे वह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण हो	
	ख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	ग	वह तिथि जब तक अंतिम	
		रजिस्ट्रीकरण वैध है	
	घ	क्या पिछला रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने	
		से पहले नवीकरण के लिए आवेदन	
		किया गया है	60
	ड.	शुल्क भुगतान का विवरण	2.50
6	अधोह	स्ताक्षरी द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र पर	
	एक घ	ोषणा कि ऊपर दी गई जानकारी उसकी	
	जानक	ारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी	\sim
	छिपार	11 नहीं गया है।	
	•		03
			````
			ओईएम के प्राधिकृत व्यक्ति का
			ओईएम के प्राधिकृत व्यक्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

#### संलग्नक - 6

## {नियम 8(2) देखें}

लिफ्ट या एस्केलेटर की एएमसी के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के रजिस्ट्रीरकरण के लिए आवेदन पत्र (निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जाना है)

1	एर	एमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण का	
		विवरण	
	동	नाम	
	ख	कानूनी स्थिति (चाहे कंपनी हो या	
		साझेदारी फर्म या कुछ और) और	
		इसके निगमन विवरण जैसे सक्षम	
		प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीरकरण	
		संख्या और उसकी दिनांक	
	ग	पंजीकृत कार्यालय पता	
		निकटतम परिचालन पता	
	घ	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम	
	ड.	संपर्क व्यक्ति का वैकल्पिक नाम और	
		पदनाम	
	ਧ	संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
	छ	वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति का मोबाइल	0.
		<b>नंबर</b>	
	চ	यदि कोई हो तो टोल-फ्री नंबर	
	專	मेल-आईडी	
	ы	जीएसटी नंबर	
	ю	पैन	
2	एएम	सी के लिए जिम्मेदार अभिकरण की	
	ओर	से यह आवेदन करने वाले अधिकृत	
	व्यक्ति	क का विवरण	
	क	नाम	
	ख	पता	
	ग	नाम एवं पदनाम	
	घ	मोबाइल नं0	
	ड.	मेल-आईडी	
3	ক	चाहे वह पहली बार रजिस्ट्रीरकरण हो	
	ख	यदि हाँ, तो शुल्क भुगतान का विवरण	
4	क	चाहे वह रजिस्ट्रीरकरण का नवीनीकरण	
		हो	
	ख	रजिस्ट्रीरकरण संख्या	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	ग	वह तिथि जब तक अंतिम	
		रजिस्ट्रीरकरण वैध है	
	घ	क्या पिछला रजिस्ट्रीरकरण समाप्त होने	
		से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन	
		किया गया है	
	ड.	शुल्क भुगतान का विवरण	
6	अधे	हस्ताक्षरी द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र पर	
	एक	घोषणा कि ऊपर दी गई जानकारी	
	उसव	<b>ी जानकारी के अनुसार सत्य है और</b>	
		भी छिपाया नहीं गया है।	
			एएमसी हेतु अभिकरण के प्राधिकृत अभिकर्ता का
			दिनांक सहित हस्ताक्षर

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

#### संलग्नक - 7

### (नियम ९ देखें)

# सार्वजनिक परिसरों में स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर की दुर्घटनाओं के लिए लॉगबुक विवरण (लिफ्ट या एस्केलेटर के पास रखा जाए)

लॉगबुक के पेज-1 पर मुद्रित किया जाना है

	ज । यर मुद्रित विश्व जाण ह
रजिस्ट्री	रिकरण संख्या
लिफ्ट र	या एस्केलेटर के चालू होने की दिनांक
वह दिन	नांक जिस दिन लिफ्ट या एस्केलेटर परिचालन में
आया	
यदि यह	ह एक नई लिफ्ट या एस्केलेटर है, तो वह दिनांक
जब तव	क विनिर्माता या कमीशनिंग/संशोधित/परिवर्तन/
शिफ्टिंग	ग अभिकरण द्वारा मुफ्त रखरखाव सेवा उपलब्ध
होगी	.0.0
एएमसी	के लिए जिम्मेदार अभिकरण का नाम, पता और
रजिस्ट्री	रिकरण संख्या
क्या ए	एमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण ओईएम की
अधिकृत	त विक्रेता है
एएमसी	के प्रारंभ होने की तिथि
वह दिन	नांक जिस दिन एएमसी समाप्त हो रही है
एएमसी	का प्रकार
क	विस्तृत
ख	अर्ध-व्यापक
ग	गैर ट्यापक
	रजिस्ट्रें लिफ्ट वह दिव आया यदि य जब तव शिफ्टिंद होगी एएमसी रजिस्ट्रें क्या ए अधिकृत एएमसी वह दिव एएमसी क

#### आगामी पृष्ठों पर मुद्रित किया जायेगा

	11 701 41 91							
क्र	दुर्घटना की	दुर्घटना	मानव या	क्या धारा-	दिनांक और	दुर्घटना की	क्या	स्वामी या
मां	दिनांक	का	पशु जीवन	12(1) के तहत	समय जब	जांच के	स्वामी	स्वामी
क	और समय	विवरण	की हानि	सक्षम	किसी राज्य	बाद जिला	द्वारा	द्वारा
	. X \		या चोट का	प्राधिकारी को	प्राधिकारी	मजिस्ट्रेट	उचित	विधिवत
			विवरण	स्वामी या	ने सबसे	के आदेश	मुआवजा	अधिकृत
				स्वामी द्वारा	पहले	की दिनांक	वितरित	किसी अन्य
				विधिवत	दुर्घटना	और	किया गया	व्यक्ति के
				अधिकृत किसी	स्थल का	मुआवजे के	#	हस्ताक्षर।
				अन्य व्यक्ति	दौरा किया।	संबंध में		
				द्वारा सूचित	विजिटिंग	आदेश का		
				किया गया है।	अथॉरिटी	विवरण		
				यदि हां, तो	का नाम			
				किसे और	और			
				कब?	पदनाम?			

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

#### Uttar Pradesh Shasan

### Urja Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication the following English translation of Notification no. 10/2024/590/24-P-3-2024 dated 18 July, 2024:

# <u>Notification</u> No. 10/2024/590/24-P-3-2024-113 Vivdh/2018

Lucknow; Dated: 18 July, 2024

In exercise of the powers under section 19 of the Uttar Pradesh Lifts and Escalators Act, 2024, the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide for the registration and regulation of the construction, installation, maintenance and safe working of lifts and escalators and all machinery and apparatus pertaining thereto in the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto:

### THE UTTAR PRADESH LIFTS AND ESCALATORS RULES, 2024

Short title and	1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Lifts and			
commencement	Escalators Rules, 2024.			
			(2) They shall come into the force at once.	
Definitions		2	(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—	
		(a)	" Act " means the Uttar Pradesh Lifts and Escalators Act,	
0			2024;	
XXX		(b)	" Annexure " means an Annexure appended to these rules;	
		(c)	" OEM " means the Original Equipment Manufacturer ;	
		(d)	" Inspector " means Electrical Inspector nominated by the	
	Government of Uttar Pradesh.			
	(2) Words and expressions used herein but not defined shall			
			have the same meaning as respectively assigned to them in	
			the Act.	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Registration by	3 (1)	Every owner of a place intending to install a lift or an
owner to erect		escalator in any premise shall make an application in the
lift or escalator		form as mentioned in Annexure-1 to these rules giving full
		details or information as specified.
	(2)	This application shall be submitted to the local Assistant
		Director, Electrical Safety having jurisdiction.
Intimation on	4(1)	The owner, who has registered to install a lift or escalator
completion of		under section 3 of the Act, shall submit the report of
commissioning		completion of commissioning, before use of lift or escalator,
and before use		in a form as mentioned in Annexure-2 to these rules.
of lift or	(2)	This completion of commissioning intimation report will be
escalator		accompanied by an installation completion report from the
		installation agency as given in section 11 of the Act. The
		installation agency shall give an undertaking that all safety
		features as enumerated in the Act and rules have been built
		in the lift or escalator.
	(3)	The owner or his authorized agent shall submit an affidavit
		to the effect that he shall comply with all provisions of the
		Act and rules during day-to-day operation of lift or escalator
		and cooperate with the authorities as and when required.
	(4)	A fee of Rs 5,000 for each lift or escalator shall be deposited
		along with the completion of commissioning intimation
		report.
	(5)	This report shall be submitted to the local Assistant Director,
\		Electrical Safety having jurisdiction.
Disabled	5. T	here shall compulsorily be at least one lift in any public
friendly lifts	premis	e which shall be disabled friendly and it shall be compliant
X CI	of all c	eodes and directives in this regard.
Maintenance of	6(1)	The owner shall compulsorily take comprehensive AMC
lift or escalator		from the OEM or his authorized service provider. He shall
in public		submit every year a copy of the AMC for his lift or escalator
premises		or any other arrangement made for the maintenance of lifts
		and escalators commissioned in public premise to the local
		Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction on a
		prescribed form as mentioned in Annexure-3 to these rules.
	-	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.gov.in">http://shasanadesh.up.gov.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

	(2)	A logbook of periodic maintenance shall be maintained on a prescribed form as mentioned in Annexure-4 to these rules and it shall be displayed near lift or escalator installed in public premise and the same shall be produced when asked by the local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction or any other Electrical Inspector having jurisdiction or local District Magistrate or local Sub - Divisional Magistrate or any Executive Magistrate authorized by local District Magistrate.
	(3)	The owner shall appoint operators to operate the lift or escalator in public premises mandatorily. The name and mobile number of the operators on duty shall be displayed prominently. These operators shall be duly trained to operate the lift or escalator or attend to any emergencies including entrapment. In case any operator is changed, the new person shall be trained before he joins his duty as operator.
	(4)	There shall be at least one operator at any point of time during operation for all the lifts installed in proximity as a cluster, and, there shall be at least one operator for all the escalators in a public premise.
	(5)	The owner may reduce the number of operators during night hours (from 10 pm to 6 am next day) depending on the operational load of the lifts or escalators.
Mill G	(6)	The operator shall reduce in writing in Part-C of the logbook as in Annexure-4 to these rules, any issues or any other problems he faced in operation during his duty hours. The owner shall get them attended to and resolved without any delay.
Registration of manufacturer,	7(1)	All manufacturers, commissioning and installing agencies shall get them registered with Director, Electrical Safety.
commissioning and installing agencies	(2)	The manufacturers shall apply on a prescribed form as mentioned in Annexure-5 to these rules. They shall apply along with a fee of Rs 25,000. This registration will be valid for a period of five years and shall be renewed thereafter. Similar fee shall be paid for each renewal.

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.gov.in">http://shasanadesh.up.gov.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (3) The desired qualifications for manufacturers shall be as follows:
  - a. the manufacturer shall be responsible for supply, installation, testing and commissioning (SITC);
  - b. the manufacturer must have adequate number of competent, qualified and trained technical team for supply, installation, testing and commissioning (SITC);
  - c. the manufacturer must sell the equipment in his own brand name;
  - d. the manufacturer must have indicated a suggestive useful life of operation of the equipment he has supplied, installed and commissioned and it shall not be less than 20 years;
  - e. a comprehensive AMC must be compulsorily provided by OEM to the owner, either itself or through its authorized service provider, till the useful life of the lift or escalator and there must be uninterrupted supply of spare parts during the useful life of the lift or escalator;
  - f. the purchaser/consumer must be given suggestions in writing by manufacturer as to what to do when the equipment has lived its life as indicated by manufacturer;
  - g. there must be a site visit by the manufacturer on expiry of the time period of suggestive life or 15 years of commissioning, whichever is earlier and a report of suggestions must be given in writing to the purchaser/ consumer so as to ensure safe travel in the lift or escalator;
  - h. the details of "Dos and Don'ts" and emergency contact numbers or any toll-free number within the equipment must be placed by Commissioning Team

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		of manufacturer so that it is within the reach of the user or any operator;  i. the owner and his operating staff must be trained by the Commissioning Team of manufacturer about the rescue operations during emergency.
Registration of		All agencies involved for AMC shall get them registered
agency involved		with Director, Electrical Safety.
in AMC	(2)	The agencies involved for AMC shall apply on a prescribed form as mentioned in Annexure-6 to these rules. They shall apply along with a fee of Rs 25,000. This registration shall be valid for a period of one year from the date of registration. Similar fee shall be paid for each renewal.
	(3)	The desired qualifications for agencies involved for AMC will be as below:  a. Save as otherwise provided in the Act, the relevant code of practice with respect to building in which the lift or escalator has been installed, the lift and escalator itself, any other electrical or mechanical apparatus and installations and any other code of relevance, shall be adhered to by the agency undertaking AMC;  b. it shall offer Comprehensive/Semi-Comprehensive / Nan Comprehensive AMC and it shall brief the
~0.	1/2	Non-Comprehensive AMC and it shall brief the consumer about the kind of services included in these plans;
		c. there must be maintained an adequate number of competent, qualified and trained technical manpower for AMC. It shall include ITI trained Technician in fitter or electrical trades, Diploma Holders and Engineers in Electrical or Mechanical or Electronics Engineering or Technology, Team Leaders, Group Leaders etc. The training period of the fresh recruits shall be of minimum six months;

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.gov.in">http://shasanadesh.up.gov.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

- d. there shall be enough number of technical teams depending upon the area and number of consumers being catered to such that it shall offer minimum response time to attend to any complaint;
- e. the response time within 50 km radius of the service station shall not be beyond 4 hours and it shall not be more than 12 hours for the cases between 50 to 100 km radius and 24 hours for the cases beyond 100 kms. In case of any emergency, the team must reach the site of emergency as soon as possible, leaving routine work behind;
- f. AMC must have maintained adequate inventory to ensure to rectify minor repairs within 48 hours and major repairs within 15 days;
- g. agency must ensure at least one preventive visit to the site of the machine within a month. It may be more if need arises. The senior most member of the team visiting the site shall record his findings /observation/suggestions, if any in the logbook kept at the site.
- h. the team visiting site shall ensure that all the rescue devices are intact and in working conditions and if it is found that they are not working, it shall be ensured that they have become functional within minimum time; and if the owner does not cooperate in such cases, the matter shall be reported to the local District Magistrate and local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction without any delay;
- i. Whenever there is any upgradation in technology as far as security features are concerned, the owner shall be advised in writing about the same by the agency responsible for AMC.

Accident Logbook

9. A separate logbook of accidental history as mentioned in Annexure-7 to these rules shall be maintained and

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		displayed near lift or escalator installed in Public Premise and the same shall be produced when asked by the local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction or any other Electrical Inspector having jurisdiction or local District Magistrate or local Sub Divisional Magistrate or any Executive Magistrate authorized by local District Magistrate.				
Late Fees	10.	A late fee, in the following manner, shall be charged to the				
	owner	owner in case he violates any timeline specified under the Act or				
	rules n	made thereunder:-				
	(a)	if the delay is of 07 days or less, a late fee of Rs 100 per				
		day shall be charged;				
	(b)	if the delay is of more than 07 days and upto 15 days, a late				
		fee of Rs 200 per day shall be charged for the entire period;				
	(c)	if the delay is of more than 15 days and upto 30 days, a late				
		fee of Rs 500 per day shall be charged for the entire period;				
	(d)	if the delay is of more than 30 days the operation of lift or				
		escalator shall be stopped immediately and it can be				
		restarted only after the compliance of the provision along				
		with a late fee of Rs 10,000.				

By order,

(Narendra Bhooshan) Principal Secretary.

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

## (see rule 3)

Application to install new lift or escalator/for making additions or alternations to the installed lift or escalator

(To be submitted to the local Assistant Director, Electrical Safety)

1	Deta	ils of the owner	
	(a)	Name	
	(b)	Local address	
	(c)	Permanent address	
	(d)	Mobile number	
	(e)	Mail-id	
2	Deta	ils of the authorized agent of	
	the c	owner	
	(a)	Name	
	(b)	Local address	
	(c)	Permanent address	
	(d)	Mobile number	103
	(e)	Mail-id	
3		ther it is registration of a new	
		or escalator	<u> </u>
4		address of the premise where	
	lift	or escalator is to be	
		missioned	
5		ther it is a 'Private Premise' or	
		lic Premise'	
7		ther it is a case of the lift or	
ł		lator being modified or altered registration number of existing	
	(a)	lift or escalator	
	(b)	the address of the premise	
1	(0)	where it is commissioned	
8	In ca	ase the lift or escalator is being	
	shifted		
	(a)	registration number of existing	
		lift or escalator	
	(b)	the address of the premise	
		where it was commissioned	
		earlier	
	(c)	the address of the new premise	
	where it is to be commissioned		

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

9	Whether	building map has been	
		by competent authority	
		ne of approving authority,	
	approval r	number and date	
11	Type and	make of lift or escalator	
1		f the manufacturer of the	
	lift or esca	alator	
	(a) name		
	(b) addr		
	· /   -	tration number of the ufacturer	
ŀ			
	` ′	e, contact details, and ess of local authorized	
	<b>I</b>	esentative of the	
		ufacturer	
13		of the commissioning/	, N. 19
		g/altering/shifting agency	
	(a) name		
1	(b) addr	ess	
1	(c) regis	tration number of the	5
	`   •	missioning/modifying/	
	alter	ing/shifting agency	
	\ /	e, contact details, and	
		ess of local authorized	
		esentative of the	
		missioning/modifying/	
1.4		ing/shifting agency	
	Proposea commissio	date of commencement of	
-		date of completion of the	
1	commissi		
		annexures	
	(a) Appi	roved building plan	
		ving details of the lift or	
	escal	<u>e</u>	
	(c) Affic	davit of the manufacturer	
	<b>I</b>	the lift or escalator is BIS	
		pliant and is as per norms	
	I	National and/or State	
		ding Codes	
	` ′	nical details of the lift or	
		lator as provided by the	
	mani	ufacturer	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(e)	Safety features of the lift or escalator as provided by the manufacturer	
(f)	Separate declarations on notarized affidavit by the three undersignees that the information provided with respect to them as above is true to their knowledge and nothing has been concealed.	

Signature of the authorized representative of manufacturer with date

Signature of the authorized representative of commissioning/modifying/ altering/shifting agency with date

Signature of the owner/his authorized agent with date

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

# {see rule 4(1)}

Completion of commissioning intimation report to install lift or for making additions or alternations to the installed lift or escalator

(To be submitted to the local Assistant Director, Electrical Safety)

1	Regi	stration Number	
2	The a	actual date of commissioning of the	lift
	or es	calator	
3	Deta	ils of annexures	
	(a)		zed
		affidavit to the effect that	0
		i. the lift or escalator	~ ~
		commissioned is of the sar	
		make and manufacturer as declared at the time of	
		registration,	
		registration,	61,
		ii. the place of commissioning	
		the lift or escalator is same	e as
		declared at the time of	
		registration,	
		iii. the commissioning agency	is
		same as declared at the tir	
		of registration.	
	(b)	In case there is any change in	tho
	(0)	In case there is any change in make and manufacturer of the lift	
		escalator and/or place	of
		1	d/or
		commissioning agency, the ow	ner
		shall update the details as declare	d in
		the format as in Annexure-1	
	(c)	A self-declaration on notar	
		affidavit to the effect that he comply with all provisions of the Act	
		Rules during day-to-day operation of li	
		escalator and cooperate with the author	rities
	(4)	as and when required.  Affidavit of the manufacturer	on
	(a)	notarized affidavit that the lift	
			BIS
		compliant and also compliant of	the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	provisions of the UP Lift and Escalators Act, 2024 especially all the safety features as enumerated in the Act and Rules.  (e) Affidavit of the commissioning agency on notarized affidavit that the	e e e
	lift or escalator has bee commissioned properly as por manufacturer guidelines and in compliance of prevailing National	r n
	and/or State Building Codes and the all safety features as enumerated in the A and Rules have been built in the lift escalator.	et
	(f) Details of Fee Payment as desired in the Rules.	1
	(g) Separate declarations on notarize affidavit by the three undersigned that the information provided wit respect to them as above is true to their knowledge and nothing has been concealed.	s h o
4	Suggestive useful life of the operation of the lift or escalator	f
5	Whether the owner/operator of the lift of escalator has been duly trained by the manufacturer/Commissioning/modifying/altering/shifting agency to operate the machine agree in the reason greaters.	е
	machine especially its rescue systems	

Signature of the Signature of the authorized authorized representative representative of commissioning of manufacturer with date /modifying/altering/shifting agency with date

Signature of the owner/his authorized agent with date

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

## {see rule 6(1)}

AMC details for the lift or escalator installed in public premises

(To be submitted to the local Assistant Director, Electrical Safety)

1	Registration Number	
2	The date of commissioning of the lift or	
	escalator	
3	The date on which the lift or escalator came	
	into operation	
4	If it is a new lift or escalator, the date till which	
	free maintenance service by manufacturer or	
	commissioning/modifying/ altering/shifting	
	agency will be available	
5	Name, address and registration number of the	
	agency responsible for AMC	
6	Whether agency responsible for AMC is an	
	authorized vendor of OEM	
	Date of commencement of the AMC	
	Date on which AMC expires	
9	Type of AMC	
	(a) Comprehensive	
	(b) Semi Comprehensive	
	(c) Non Comprehensive	
10	A copy of the AMC shall be shared	
11	Separate declarations on notarized affidavit by	
	the two undersignees that the information	
	provided with respect to them as above is true	
	to their knowledge and nothing has been	
	concealed.	

Signature of the authorized agent of the agency responsible for AMC with date

Signature of the owner/his authorized agent with date

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

## {see rule 6(2) & 6(6)}

Logbook details for maintenance of the lift or escalator installed in public premises

(To be kept near the lift or escalator installed)

## Part-A To be printed on page-1 of the logbook

1	Registration Number	
2	The date of commissioning of the lift or	
	escalator	
3	The date on which the lift or escalator came	
	into operation	
4	If it is a new lift or escalator, the date till which	
	free maintenance service by manufacturer or	
	commissioning/modifying/ altering/shifting	
	agency will be available	
5	Name, address and registration number of the	
	agency responsible for AMC	
6	Whether agency responsible for AMC is an	
	authorized vendor of OEM	
7	Date of commencement of the AMC	
8	Date on which AMC expires	
9	Type of AMC	
	(a) Comprehensive	
	(b) Semi Comprehensive	1
	(c) Non Comprehensive	

## Part-B To be printed on subsequent pages

Sl	Date and	Name of	Works	Any suggestion for	Date on	The date	Signature
No	Time of	the Team	attended by	the owner for	which the	when	of the
	visit of	Leader	AMC Team	corrective measure			
	AMC			for smooth	has been	of AMC	Leader of
	Team			operation of lift or	complied	Team is	AMC
				escalator	with	due	Team

## Part-C To be printed on separate set of subsequent pages

Sl	Name of the	Problems faced by	Date and Time	Whether the	Signature of the
No	operator	him in operation	of the entry of	problem has been	Team Leader of
	_	during his duty	the operator	attended to or	AMC Team
		hours		resolved? If yes,	
				date and time?	

Annexure-5

{see rule 7(2)}

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

# Application Form for Registration of Manufacture of lift or escalator

(To be submitted to the Director, Electrical Safety, UP)

1	Deta	ils of the Manufacturer (OEM)	
	(a)	Name	
	(b)	Legal Status (whether company or	
		partnership firm or anything else) and	
		its incorporation details like	
		registration number with the	
		competent authority and date thereof	
	(c)	Registered office address	
	(d)	Address of Production Centers in India	
	(e)	Name and designation of the contact	02
		person	
	(f)	Mobile Number of the contact person	. 10
	(g)	Mail-id of the contact person	
	(h)	GST Number	
	(i)	PAN	5
	(j)	Product Range (Please provide the	
		detailed catalogue)	
2	Deta	ils of all the local vendors of the OEM	
	in U	ttar Pradesh	
	(a)	Name	
	(b)	Legal Status (whether company or	
		partnership firm or anything else) and	
		its incorporation details like	
		registration number with the	
		competent authority and date thereof	
	(c)	Registered office address	
	(d)	Local Office Address	
	(e)	Name and designation of the contact	
		person	
	(f)	Mobile Number of the contact person	
	(g)	Mail-id of the contact person	
	(h)	GST Number	
	(i)	PAN	
3		ils of the authorized person making	
1		1' ' 1 1 1C C/1 OFM	
ł	this a	application on behalf of the OEM	
	this a	Name	
		Name Address	
	(a)	Name	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(e)	Mail-id	
4	(a)	Whether it is first time registration	
	(b)	If yes, the details of fee payment	
5	(a)	Whether it is renewal of registration	
	(b)	The Registration Number	
]	(c)	The date till which the last	
		registration is valid for	
	(d)	Whether the renewal has been applied	
		before the previous registration	
		expires	
	(e)	The details of fee payment	
6	A D	eclaration on notarized affidavit by the	
	unde	ersignee that the information provided	
	as a	bove is true to his knowledge and	60
	noth	ing has been concealed.	

Signature of the authorized person of the OEM with date

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.gov.in">http://shasanadesh.up.gov.in</a> से सत्यापित की जा सकती है।

{see rule 8(2)}

Application Form for Registration of Agencies responsible for AMC of lift or escalator

(To be submitted to the Director, Electrical Safety, UP)

1	Deta	ils of the Agency responsible for	
	AM(	C	
	(a)	Name	
	(b)	Legal Status (whether company or partnership firm or anything else) and its incorporation details like registration number with the competent authority and date thereof	10.01.
	(c)	Registered office address	
		Nearest operational address	
	(d)	Name and designation of the contact person	(6)
	(e)	Alternate name and designation of contact person	
	(f)	Mobile Number of the contact person	
	(g)	Mobile Number of the alternate contact person	
	(h)	Toll-free number if any	
	(i)	Mail-id	
	(j)	GST Number	
	(k)	PAN	
2		ils of the authorized person ing this application on behalf of the acy responsible for AMC	
	(a)	Name	
	(b)	Address	
	(c)	Name and designation	
	(d)	Mobile Number	
	(e)	Mail-id	
4	(a)	Whether it is first time registration	
	(b)	If yes, the details of fee payment	

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(a)		
(b)	The Registration Number	
(c)		
(d)	applied before the previous	
(e)	The details of fee payment	
A Details the uproving the hours of the hour	Indersignee that the information ded as above is true to his reledge and nothing has been	
	(b) (c) (d) (e) A Detthe uproviknow	registration  (b) The Registration Number  (c) The date till which the last registration is valid for  (d) Whether the renewal has been applied before the previous registration expires

Signature of the authorized person of the Agency responsible for AMC with date

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

## (see rule 9)

Logbook details for accidents of the lift or escalator installed in public premises

(To be kept near the lift or escalator installed)

## A. To be printed on page-1 of the logbook

1	Registration Number	
2	The date of commissioning of the lift or	
	escalator	
3	The date on which the lift or escalator came	
	into operation	
4	If it is a new lift or escalator, the date till which	0
	free maintenance service by manufacturer or	
	commissioning/modifying/ altering/shifting	
	agency will be available	
5	Name, address and registration number of the	
	agency responsible for AMC	
6	Whether agency responsible for AMC is an	
	authorized vendor of OEM	
7	Date of commencement of the AMC	
8	Date on which AMC expires	
9	Type of AMC	
	(a) Comprehensive	
	(b) Semi-Comprehensive	
	(c) Non-Comprehensive	
_	Type of AMC (a) Comprehensive (b) Semi-Comprehensive	

# B. To be printed on subsequent pages

Sl N	Date an	Details	Details	Whether co	Date and ti	The date of	Whether due	Signature
o	d Time	of the a	of loss	mpetent aut	me on whi	the order of	compensatio	of the own
	of accid	ccident	of or in	hority as un	ch some st	the District	n has been di	er or any
	ent		jury to	der section-	ate authori	Magistrate	sbursed by t	other pers
			human	12(1) has be	ty visited t	after the in	he owner	on duly au
			or anim	en informed	he acciden	quiry of the		thorized b
			al life	by the owne	t site first.	accident an		y the own
				r or any othe	Name and	d details of		er.
				r person dul	designatio	the order as		
				y authorized	n of the vi	regards co		
				by the owne	siting auth	mpensation		
				r. If yes, wh	ority?			
				om and whe				
				n ?				

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।



²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Hibilgy and saluades Williams